प्रेषक,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0
इन्दिरा भवन, लखनऊ

सेवामें,

1– समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उ0प्र0

2– महाप्रबन्धक,
जल सस्थान, बांदा/झांसी

3– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें,उ0प्र0

संख्या :: एक/103 /11–सा/निदे० अधि०/स्था०नि०/वे०आ०/08 लखनऊःदिनांकःमई 27 ,2011

विषयः वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग–1 में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायो/जल संस्थानों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन /उच्चीकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 211/नौ–1–11–157 सा/2009, दिनांक 08 फरवरी, 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। वेतन समिति उ0प्र0 (2008) की संस्तुतियॉं पर लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या–609/9–1–08–21सा/09, दिनांक 27 फरवरी, 2009 द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों एवं जल संस्थान के रूपये 2550–3200, रूपये 2610–2540 एवं रूपये 2650–4000 के वेतनमान के पदो पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य कराये गये वेतन बैण्ड–1 एस रूपये 4440–7440 एवं ग्रेड वेतन रूपये 1300, रूपये 1400 एवं 1650 के स्थान पर वेतन बैण्ड–1 रूपये 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रूपये 1800 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ/नकद भुगतान तत्कालिक प्रभाव से **(दिनांक 08 सितम्बर 2010)** से इस प्रतिबन्ध के अधीन किया जायेगा कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित निकाय अपने स्रोतो से वहन करेगें और इस हेतु शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि का मांग नही की जायेगी।

2– इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदो को छोड़ कर) नियुक्ति नही की जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदो के संबंध में केवल आउट सोर्सिग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी, परन्तु उक्त व्यवस्था उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत्यु सरकारी सेवकों के आश्रितो की भर्ती नियमावली 1974 के अन्तर्गत समूह ''घ'' के पदो पर की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में लागू नही होगी।

3– उपर्युक्तानुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–1 रूपये 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रूपये 1800 में संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008 ,दिनांक 08 दिसम्बर 2008 तथा तत्क्रम में समय समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

भवदीया,

Gupta 27/5/11

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक

संख्या एवं तिथि तदैव

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–1,उत्तर प्रदेश शासन को शासनादेश संख्या 211/नौ–1–11–157 सा/2009, दिनांक 08 फरवरी, 2011 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

2– प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक

21Sec15/26/2011

1/103/1071
11 Feb'11

संख्या– 211 / नौ–1–11–157सा / 2009

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग– 1 लखनऊ दिनांक 07 फरवरी, 2011

विषय : वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग–1 में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायों / जल संस्थानों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन / उच्चीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश सं0–609 / 9–1–08–21सा / 09, दिनांक 27 फरवरी, 2009 द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों एवं जल संस्थान के रूपये 2550–3200, रूपये 2610–3540 एवं रूपये 2660–4000 के वेतनमान के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य कराये गये वेतन बैण्ड–1एस रूपये 4440–7440 एवं ग्रेड वेतन रूपये 1300, रूपये 1400 एवं रूपये 1650 के स्थान पर वेतन बैण्ड–1 रूपये 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रूपये 1800 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ / नकद भुगतान तत्कालिक प्रभाव से (दिनांक 08 सितम्बर, 2010) से किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते है कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित निकाय अपने स्रोतो से वहन करेंगे और इस हेतु शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़ कर) नियुक्ति नहीं जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होन वाले पदो के संबंध में केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी, परन्तु उक्त व्यवस्था उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत्यु सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी।

3– उपर्युक्तानुसार उच्चीकृत / संशोधित वेतन बैण्ड–1 रूपये 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रूपये 1800 में संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ–2–1318 / दस–59(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा तत्क्रम में समय समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– वे0आ0–2–166 / दस–2011, दिनांक 03 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संलग्न पत्र विनांक तदैव –

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- उ0प्र0 के समस्त नगर निगम के नगर आयुक्त।
4- महाप्रबन्धक, समस्त जल संस्थान, उ0प्र0।
5- वेब मास्टर को प्रति एक इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त शासनादेश को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6- समस्त अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका एवं नगर पंचायत उ0प्र0।
7- वित्त (वे0प्र0) अनुभाग–2 / वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8
8- वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 / 2
9- नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।